सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 28, मंगलवार, *शाके* 1946-जून 18, 2024
Jyaistha 28, Tuesday , Saka 1946- June 18, 2024

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

नगर नियोजन विभाग

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन,

अधिसूचना

जयपुर, जून 18, 2024

संख्या एजेजेड/1120/एमपी/डेगाना/24/ :-सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को डेगाना (जिला नागौर) का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष-2041 तैयार करने हेतु नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। अतः राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण)नियम-1962 के नियम 3 के अन्तर्गत डेगाना (जिला नागौर) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2041 का प्रारूप् तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु प्रकाषित किया जा रहा है। इस प्रारूप् मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैः-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	
	अंग्रेजी	हिन्दी
1.	CHANDAROON	चान्दारूण
2.	DEGANA GAON	डेगाना गांव
3.	GOREDI CHANCHA	गौरेडी चाचा
4.	GOREDI KARNA	मौरडी करणा
5.	JHAGARWAS	झगड़वास
6.	KITALSAR	कितलसर
7.	LANGOD	लंगौड़
8.	RAWALIYAWAS	रावलियावास
9.	RENWAT	रेंवत
10.	TAMDOLI	तामडोली
11.	TILANESH	तिलानेश
12.	BAJIYASAR	बाजियासर
13.	DEVNAGAR	देवनगर

डेगाना मास्टर प्लान के इस प्रारूप के संबंध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तिया एवं सुझाव वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, दीपक नगर,

जयपुर रोड, अजमेर-305001, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, डेगाना (जिला नागौर) अथवा मुख्य नगर नियोजक, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, राजस्थान, जयपुर-302004 के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। मास्टर प्लान के प्रारूप को उपरोक्त समयावधि में किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 18.06.2024 से 18.07.2024 तक प्रदर्शनी स्थल पंचायत समिति सभाकक्ष डेगाना (जिला नागौर) मे देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से संबंधित पुस्तिका मय मानचित्र, कार्यालय नगर पालिका, डेगाना (जिला नागौर) से क्रय की जा सकती है।

मुकेश मितल,
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
अजमेर जोन, अजमेर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।